भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2993
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

फर्जी भर्ती अभिकर्ता

2993. **श्री राहुल कस्वां:**
डॉ. बायरेड्डी शबरीः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री जी.एम. हरीश बालयोगीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों को विदेशों में रोज़गार देने वाली फर्ज़ी/धोखाधड़ी वाली आव्रजन एजेंसियों/एजेंटों के मुद्दे पर कोई अध्ययन/अनुसंधान/जांच की है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सहित राज्य–वार पहचान की गई ऐसी एजेंसियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों/एजेंसियों के खिलाफ कानूनी या अन्य कोई कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग)पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बंद की गई ऐसी एजेंसियों/कंपनियों की संख्या का उक्त राज्यों सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसी एजेंसियों/कंपनियों को विनियमित करने और उनकी संख्या कम करने के लिए कोई योजना/पहल शुरू करने का इरादा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ)विदेशों में रोज़गार चाहने वाले हमारे नागरिकों का समर्थन करने के लिए विदेशों में दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मानव दुर्व्यापार कर ले जाए गए ऐसे युवाओं के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा देश में वापस लाए गए युवाओं के लिए क्या सहायता/पुनर्वास कार्यक्रम उपलब्ध हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार को कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई हैं, जिनमें विदेशों में फर्जी नौकरी का लालच देकर भारतीय नागरिकों को जालसाज/फर्जी एजेंसियों द्वारा फंसाया गया। देश में अवैध भर्ती एजेंटों की धोखाधड़ी संबंधी

गतिविधियों के बारे में पीड़ित प्रवासी या उसके परिवार के सदस्यों/मित्रों/रिश्तेदारों, जिन्हें ऐसे एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया है, द्वारा भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। ऐसी सूचनाओं के आधार पर मंत्रालय और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है। शिकायत को जांच और अभियोजन के लिए संबंधित राज्य पुलिस को भेजा जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति अनुबंध–क पर दी गई है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है, जिसका पालन ऐसी फर्जी एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें मिलने पर किया जाएगा। मंत्रालय सुरक्षित एवं कानूनी माध्यमों तथा विदेशों में रोजगार के अवसरों के लाभों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

अवैध एजेंटों/एजेंसियों के बारे में जानकारी नियमित आधार पर ई–माइग्रेट पोर्टल पर अपडेट की जाती है। जून 2024 तक पोर्टल पर कुल 3,042 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया है। राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से ऐसे अवैध एजेंटों/एजेंसियों की राज्य–वार संख्या का विवरण अनुबंध–ख पर संलग्न है।

(घ) उत्प्रवास अनापत्ति अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के उत्प्रवास की प्रक्रिया और विदेशी रोजगार के लिए 18 ईसीआर देशों में से किसी देश में जाना, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विनियमित है, जिसे विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा विदेशी रोजगार (ओई) तथा उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भर्ती एजेंट/एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

उत्प्रवासियों को पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने और अवैध/नकली एजेंटों के माध्यम से प्रवेश न करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विजुअल और प्रिंट मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। इन पोर्टफोलियो को मंत्रालय और विदेश में मिशन/पोस्ट के सोशल मीडिया प्रोफाइल और अधिक से अधिक रीच के लिए अन्य माध्यमों से अपलोड और प्रसारित किया जा रहा है। राज्य को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में एसोसिएशन का प्रचार करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) और (च) प्रवासन प्रक्रिया को आसान बनाने और विदेशों में भारतीय कामगारों के रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न गंतव्य देशों की सरकारों के साथ प्रवासन और आवाजाही साझेदारी करार (एमएमपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एमएमपीए का उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना और हमारे छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों एवं पेशेवरों के लिए आवाजाही को बढ़ावा देना है और इन करारों पर फ्रांस (2018), यूके (2021), जर्मनी (2022), इटली, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया (2023) और डेनमार्क (2024) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं, ताकि विदेश में किसी भी भारतीय नागरिक को किसी सहायता की आवश्यकता होने या उसके संकट में फंसे होने या उसे कोई शिकायत होने पर उसकी सहायता की जा सके। विदेशों में हमारे नागरिक वॉक–इन इंटरव्यू, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, मदद, सीपीजीआरएएमएस और ई–माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र पीड़ित भारतीय नागरिक की सहायता और राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई और उचित उपाय करते हैं। मिशन/केंद्र इन मुद्दों को स्थानीय

विदेश मंत्रालय और मेजबान देशों की अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे आव्रजन, श्रम विभाग, गृह मामले, रक्षा एवं सीमा मामले और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी उचित रूप से उठाते हैं। भारत सरकार ऐसे मुद्दों को समय–समय पर मेजबान सरकारों के साथ राजनीतिक स्तर पर भी उठाती है। संकटग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद एवं जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को 'माली हालत के आधार' पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समय–समय पर भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडबल्यूएफ़) का उपयोग करते हैं। आईसीडबल्यूएफ़ के तहत मुख्य सहायता में भोजन एवं आवास, भारत के लिए हवाई टिकट, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर को भारत ले जाना और छोटे जुर्माने एवं शास्तियों का भुगतान शामिल है। वर्ष 2014 से मार्च 2024 तक, इस कोष के तहत विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा लगभग 656 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और लगभग 3,50,194 भारतीयों को सहायता प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध–क

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या				राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत एटीआर				जांच के बाद अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए अनुरोध किए गए मामलों की संख्या				जारी अभियोजन स्वीकृति की संख्या			
		2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)
1	आंध्र प्रदेश	1111	688	445	261	0	0	5*	–	0	0	1	0	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0
4.	बिहार	10	2	6	5	4 (एफ़आईआर दर्ज)	0	1(एफ़आई आर दर्ज)	1(एफ़आई आर दर्ज)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	चंडीगढ़	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	छतीसगढ़	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	दिल्ली	1	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
8.	गोवा	3	14	5	1	0	5	0	1	0	0	0	0				
9.	गुजरात	2	2	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	हरियाणा	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11.	हिमाचल प्रदेश	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	6	21	32	13	0	4	6	0	0	1	3	0	0	1	3	0
15.	केरल*	65	69	110	95	54 (एफ़आईआर दर्ज)	47 (एफ़आईआर दर्ज)	87 (एफ़आईआर दर्ज)	66 (एफ़आईआर दर्ज)	2	7	7	1	2	7	7	1
16.	मध्य प्रदेश	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	महाराष्ट्र	22	8	6	2	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मिज़ोरम	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	2	23	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	राजस्थान	91	64	35	45	24 (एक एफ़आईआर दर्ज)	2	0	0	4	0	2	0	4	0	2	0
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	85	254	152	86	0	6	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0
27.	तेलंगाना	74	63	132	40	–	19	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	उत्तराखंड	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
31.	पश्चिम बंगाल	74	10	5	8	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	कुल	1,553	1,227	1,006	575	82	87	147	74	7	11	15	14	7	11	15	14

* आंध्र प्रदेश पुलिस से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि पांच प्रवासियों ने एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है।

*****

अनुबंध–ख

ई–माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित अवैध एजेंटों की राज्यवार संख्या
(जून 2024 तक)

राज्य	अधिसूचित अवैध एजेंटों की संख्या
दिल्ली	299
पंजाब	209
तमिलनडु	372
महाराष्ट्र	337
उत्तर प्रदेश	418
आंध्र प्रदेश	498
केरल	206
तेलंगाना	123
हरियाणा	36
गुजरात	59
पश्चिम बंगाल	130
कर्नाटक	81
राजस्थान	62
बिहार	57
मध्य प्रदेश	16
पुडुचेरी	6
उत्तराखंड	13
गोवा	13
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू और कश्मीर	11
चंडीगढ़	34
ओडिशा	11
छत्तीसगढ़	4
असम	23
झारखंड	5
त्रिपुरा	7
नागालैंड	1
मणिपुर	1
कुल	**3042**

*****